

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बाड़मेर में ग्राम विकास अधिकारी एवं सहायक सचिव 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 30 मई, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर-ग्रामीण इकाई द्वारा आज जसोल, बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये सुशील कुमार जाट ग्राम विकास अधिकारी एवं उदाराम प्रजापत सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल, जिला बाड़मेर को परिवादी से 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर-ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी माताजी द्वारा खरीदशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में सुशील कुमार जाट ग्राम विकास अधिकारी एवं उदाराम प्रजापत सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल, जिला बाड़मेर द्वारा 8 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के सुपरवीजन में एसीबी जोधपुर-ग्रामीण इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज श्रीमती अनु चौधरी, पुलिस निरीक्षक मय टीम के जसोल, बाड़मेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुशील कुमार जाट पुत्र श्री मखनलाल निवासी ग्राम इन्द्रानगर, पुलिस थाना कोतवाली, जिला झुंझुनूं हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जसोल, जिला बाड़मेर एवं उदाराम प्रजापत पुत्र श्री कमाराम प्रजापत निवासी वार्ड नं0 15, नयापुरा, जसोल, जिला बाड़मेर हाल सहायक सचिव ग्राम पंचायत जसोल, जिला बाड़मेर को परिवादी से 8 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।